JALAUN POLICE

दिनांक – 25.06.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना गोहन पुलिस द्वारा 48 घण्टे में त्वरित कार्यवाही करते हुये हत्या की घटना में वांछित 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 23.06.2025 को थाना गोहन क्षेत्रान्तर्गत कंचनपुर पुलिया के पास एक शव मिलने की सूचना पर क्षेत्राधिकारी माधौगढ़ व थाना गोहन पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त कराई गयी थी तथा वादिनी की तहरीर पर थाना गोहन पर मु0अ0सं0 84/25 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम अभि0गण (1). रामकेश कुशवाहा पुत्र रामप्रकाश(2).विश्वास पुत्र शशि कुशवाहा नि0गण ग्राम सरावन थाना गोहन जनपद जालौन (3).गुलबशर पुत्र रहीशुद्दीन नि0 ग्राम बदनपुरा थाना गोहन जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

48 घण्टे में त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 25.06.2025 को थाना गोहन पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर/वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी एवं चैकिंग के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर सरावन श्रमदान से हदरुख जाने वाली रोड पर एक्सप्रेसवे अंडरपास गोहन के पास से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण (1). रामकेश कुशवाहा पुत्र रामप्रकाश (2).विश्वास पुत्र शशि कुशवाहा नि0गण ग्राम सरावन थाना गोहन जनपद जालौन (3).गुलबशर पुत्र रहीशुद्दीन नि0 ग्राम बदनपुरा थाना गोहन जनपद जालौन को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्तगण की निशादेही पर आलाकत्ल 01 अदद छुरी एवं 01 अदद रक्तरंजित टी-शर्ट बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में मुख्य अभियुक्त रामकेश ने बताया कि वर्ष 2003 में सुनील कुशवाहा द्वारा मेरे पिता जी को शराब में कुछ जहरीला पदार्थ खिला दिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गयी थी तभी से मैं सुनील से बदला लेने की फिराक में था। जब मैं इस बार महाराष्ट्र से वापस आया तो मैने विश्वास से बातचीत की और विश्वास कुशवाहा ने गुलबसर नि0 बदनपुरा से मेरी मुलाकात करवायी वहां पर हम लोगों ने योजना बनायी। दिनांक 22.06.2025 को विश्वास और मैं सुनील को शराब पिलाने के बहाने अपने साथ सरावन पावरहाउस व कंचनपुर गाँव के बीच में बनी बम्बी पुलिया के पास ले गये थे जहां गुलबसर पुलिया पर पहले से ही मौजूद था। वहां पर बैठकर हम लोगो ने शराब पी और सुनील को पकङ कर पुलिया के नीचे ले गये और सुनील कुशवाहा को जमीन पर गिरा दिया और चाकू से सुनील की गर्दन पर वार कर हत्या कर दी और शव को

पुलिया के छुपा दिया और वहा से निकलने के बाद छुरी को एक पन्नी में रखकर एवं अपनी रक्त रंजीत शर्ट को भी उतारकर नहर की पटरी के किनारे पुलिया के दूसरी तरफ कटीली झाड़ियो में छुपा दी थी।

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

1. 01 अदद आलाकत्ल छुरी
2. 01 अदद रक्तरंजित टी-शर्ट

<u>नाम पता अभियुक्त:-</u>

1. रामकेश कुशवाहा पुत्र रामप्रकाश नि0 ग्राम सरावन थाना गोहन जनपद जालौन उम्र करीब 30 वर्ष
2. विश्वास पुत्र शशि कुशवाहा नि0 ग्राम सरावन थाना गोहन जनपद जालौन उम्र करीब 23 वर्ष
3. गुलबशर पुत्र रहीशुद्दीन नि0 ग्राम बदनपुरा थाना गोहन जनपद जालौन उम्र करीब 23 वर्ष

<u>पुलिस टीम का विवरण:-</u>

1. थानाध्यक्ष गोहन मय पुलिस टीम।